न्यायालय कलेक्टर जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.क्रं. 62/अ–20(3)/2022–23

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल
नीमच———————————आवेदक
विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन—————अनावेदक

आदेश
(दिनांक 31 – 03 –2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा पत्र क्र/मा.चि./2023/434 नीमच दिनांक 16.01.2023 के द्वारा उल्लेखित किया कि प्रकरण में बाणदा जलाशय योजना में प्रभावित 25.00 हे. वनभूमि, परवनी जलाशय में प्रभावित 8.80 हे. वन भूमि एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित 28.25 हे. वन भूमि के बदले अन्यत्र स्थान पर गैर वनभूमि आबंटित करनें का अनुरोध किया गया।

2— प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद/नजूल अधिकारी उपखण्ड जावद को प्रेषित किया। प्रकरण में नजूल अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जावद द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित किया कि प्रकरण में सार्वजनिक उदघोषणा उपरांत आपत्तियों, दावों और सुझावों के संबंध में तहसीलदार तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बाणदा से अभिमत लिया गया, जिसके अनुसार आबंटित किये जानी वाली भूमि अन्य योजना हेतु आरक्षित नही है। तहसीलदार सिंगोली द्वारा अपनें जांच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया कि प्रकरण में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है अतएव बाणदा, परवणी एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वनभूमि के बदलें प्रश्नाधीन भूमि आबंटित किये जाना उचित प्रतिवेदित किया गया। प्रश्नाधीन भूमि किसी अन्य संस्था द्वारा मांग नही की गई है, ना ही अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित है, ना ही लोक प्रयोजन हेतु भविष्य में संभावित है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा निम्न तालिका अनुसार जलाशय योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि को वन विभाग को भूमि आबंटन किये जानें के संबंध में प्रस्ताव जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबे का क्षेत्रफल	प्रस्तावित आवंटन हेतु रकबा
1	डाबी	1	54.559	50.00 हे.
2	जेतलिया	247	33.812	12.05 हे.
	योग		88.371	62.05 हे.

3— राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार क्रं. 1 – मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय–दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 29.03.2023 को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवणी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

(6) वन मण्डल अधि.

//2//

प्र.क्र. 62/अ–20(3)/2022–23

4– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिगत के आधार पर ग्राम डावी स्थित भूमि सर्वे नं. 1 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 50.00 हे. भूमि तथा ग्राम जेतलिया स्थित भूमि सर्वे नं. 247 रकबा 33.812 हे. में से 12.05 हे. भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय –दो कंडिका 14 के तहत ग्राम बाणदा जलाशय योजना, परवणी जलाशय योजना एवं गंगाबावड़ी जलाशय योजना में प्रभावित वन भूमि के बदलें उपरोक्त राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को हस्तांतरित की जाती है ।

(मयंक अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क्र. 1870 / आर.टी.सी. / 2022–23 — नीमच, दिनांक 31 –03 –2023

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड /नजूल अधिकारी जावद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– तहसीलदार सिंगोली की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

(Seal: न्यायालय कलेक्टर जिला-नीमच (म.प्र.))

(Stamp: 3198 10/4/23 सामान्य वन मण्डल, नीमच)

मानचि
10-4-23

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

क्रमांक/मानचि/23/3236 — नीमच, दि.– 11.4.23

प्रतिलिपिः– (1) उपवनमण्डलाधिकारी नीमच (2) वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच